न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 04/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी एक्मे फिनट्रेड (इंडिया) लिमिटेड, शाखा–उदयपुर।		1. श्री केतन रावल पिता स्व. श्री मोदी राम रावल (ऋणी) मकान सं. 404, संस्कार अपार्टमेंट, प्लोट नं. 179/180, नवरतन कॉम्पलेक्स, बिडला रोड, उदयपुर। 2. श्रीमति ममता रावल पत्नि श्री केतन रावल (ऋणी) मकान सं. 404, संस्कार अपार्टमेंट, प्लोट नं. 179/180, नवरतन कॉम्पलेक्स, बिडला रोड, उदयपुर। 3. श्री नितिन जैन पुत्र श्री रोशन लाल जैन (जमानती) मकान सं. 01–F, मछला मगरा स्कीम, उदयपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :–

1. श्री भैरूपाल सिंह बालावत अधिवक्ता, प्रार्थी।

निर्णय

दिनांक : 21.06.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी–

1. श्री केतन रावल पिता स्व. श्री मोदी राम रावल (ऋणी) मकान सं. 404, संस्कार अपार्टमेंट, प्लोट नं. 179/180, नवरतन कॉम्पलेक्स, बिडला रोड, उदयपुर।
2. श्रीमति ममता रावल पत्नि श्री केतन रावल (ऋणी) मकान सं. 404, संस्कार अपार्टमेंट, प्लोट नं. 179/180, नवरतन कॉम्पलेक्स, बिडला रोड, उदयपुर।
3. श्री नितिन जैन पुत्र श्री रोशन लाल जैन (जमानती) मकान सं. 01–F, मछला मगरा स्कीम, उदयपुर।

को राशि रूपये 10000000/– की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद प्रार्थी/कंपनी के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी ने अपनी जायदाद Immovable Residential Property Patta no - 918, survey no-13, situated at Sirohi Road, Pindwara, Dist-Sirohi (Raj.) admeasuring about 3200 Sq. feet in the name of Shri Ketan Rawal s/o late Shri Modi Ram Rawal together with all construction made thereon को प्रार्थी/कम्पनी के पक्ष मे रहन कर दिया।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 30.12.2020 को जारी किये गये । जो पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी/कंपनी ने अप्रार्थीयो के द्वारा बतोर जमानत रहन रखी गई सम्पति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी । विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखा उदयपुर (राज.) मे स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी/कंपनी द्वारा अप्रार्थीगण को रूपये 10000000/– ऋण स्वीकृत किया था । जिसकी एवज में अपनी जायदाद प्रार्थी/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र मे किया गया है । बहस मे कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नही करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नही किया गया । भुगतान नही करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है । अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतोर जमानत प्रार्थी/कम्पनी के पक्ष मे रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी/कम्पनी को दिलाया जावे ।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी । अप्रार्थी द्वारा राशि रूपये 10000000/– का ऋण लिया था । ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को प्रार्थी/कम्पनी के पक्ष मे उक्त जायदाद रहन रखी है । प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 30.12.2020 को जारी किये है जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नही किया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:16 IST
Reason: SelfAttested

दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन [illegible] आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा [illegible] निम्न प्रकार है :–

14 . Chief Metropolitan Magistrate [illegible] District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset – (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to the sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of

Scanned with CamScanner

any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other document, relating thereto may be situated or found to take possession thereof and the

Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him –

(a) take possession of such asset and documents relating thereto and

(b) forward such assets and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) , the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may be take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी/कम्पनी के पक्ष मे प्रतिभूति के रूप मे रखी गई अपनी जायदाद Immovable Residential Property Patta no.-918, survey no-13, situated at Sirohi Road, Pindwara, Dist-Sirohi (Raj.) admeasuring about 3200 Sq. feet in the name of Shri Ketan Rawal s/o late Shri Modi Ram Rawal together with all construction made thereon को प्रार्थी/कम्पनी पक्ष मे रहन कर दिया । जिसका अडोस पडोस निम्न प्रकार है।

East – Khalsai Gali
West – Thala of Mirza Mohammad Begji
North – Road to Sirohi
South – Road

उपरोक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस थाना से प्रार्थी/कम्पनी को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता है । यदि उक्त सम्पति किसी भी तरीके से बंद पायी जाती है तो ताला तोडकर उक्त सम्पति पर प्रार्थी/कंपनी अपना कब्जा स्थापित करें । आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ पुलिस अधीक्षक सिरोही, संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना एवं प्रार्थी/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे । आदेश आज दिनांक 21.06.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner